

2. This notification shall come into force on the 19<sup>th</sup> day of November, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1<sup>st</sup> March, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1<sup>st</sup> March, 2011 and last amended *vide* notification No. 29/2022-Customs, dated the 21<sup>st</sup> May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 21<sup>st</sup> May, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

सं. 59/2022-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 828(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में;

(1) क्रम संख्या 141क, 141 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 364घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ;

2. यह अधिसूचना 19 नवम्बर, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को, सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 56/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 01 नवम्बर, 2022 सा.का.नि. 798 (अ) दिनांक 01 नवम्बर, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

**No. 59/2022-Customs**

**G.S.R. 828(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section (3) of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table,

(1) S. Nos. 141A, 141B and the entries relating thereto shall be omitted;

(2) S. No. 364D and the entries relating thereto shall be omitted;

2. This notification shall come into force on the 19<sup>th</sup> day of November, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E)., dated the 30<sup>th</sup> day of June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 56/2022-Customs, dated the 1<sup>st</sup> November, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E)., dated the 1<sup>st</sup> November, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

सं. 60/2022-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 829(अ).**—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ;

2. यह अधिसूचना 19 नवम्बर, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 354/12/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 53/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022, जिसे सा.का.नि. 760 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

No. 60/2022-Customs

**G.S.R. 829(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2021-Customs, dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021, namely: -

In the said notification, in the Table, S. No. 10A and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 19<sup>th</sup> day of November, 2022.

[F. No. 354/12/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.